

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/6/1996 /

दिनांक:-

भू-प्रबन्ध अधिकारी
उदयपुर ।

विषय:-ग्राम राणाकुई तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर की
बंद की अधिसूचना भिजवाने बाबत ।

प्रसंग:- राजस्व ग्रुप-1 विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक
प013(5)राज/ग्रुप-1/2009 दिनांक 28-8-18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि
राज्य सरकार द्वारा जारी ग्राम राणाकुई तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के
बन्द की अधिसूचना धारा 106, 107 व 108 दिनांक 28-8-2018 की छाया
प्रति संलग्न प्रेषित है । इस ग्राम का नवीन अभिलेख 15 दिवस में जिला
कलक्टर को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवावें ।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

हू०

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक- 11.9.18

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 2253

प्रतिलिपि-

1- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी,
मुख्यावास, राजस्थान, जयपुर


राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2009

जयपुर, दिनांक 28.08.18

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के ग्राम राणाकुई का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(19)राज./ग्रुप-1/1996 दिनांक 13.05.1996 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। चूंकि इस ग्राम का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से ग्राम राणाकुई में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।



राज्यपाल की आज्ञा से

20

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/06/1996/1892 दिनांक 01.08.2018।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

RR/484
10/9/18

संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2009

जयपुर, दिनांक 28-08-18

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के ग्राम राणाकुई का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक: प0 13(19)राज./ग्रुप-1/1996 दिनांक 13.05.1996 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर को अपर भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि इस ग्राम के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से ग्राम राणाकुई के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।



राज्यपाल की आज्ञा से

३०

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।

2. जिला कलक्टर, उदयपुर।

3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/06/1996/1892 दिनांक 01.08.2018।

4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।

5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर।

6. रक्षित पत्रावली।

R2/485
10/9/18

संयुक्त शासन सचिव